प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, श्रीगंगानगर थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :–..... 2022.....
   प्र0सू0रि0 सं .....272/22.....दिनांक.....6/7/2022.....
2. (1) अधिनियम... भ्र.नि.(संशोधन)अधिनियम 2018.....धाराए ..... 7 .....
   (2) अधिनियम.....धाराए.....
   (3) अधिनियम.....धाराए.....
   (4) अन्य अधिनियम एवं .....धाराएं.....
3. (क) घटना का दिन :– मंगलवार .....दिनांक :–...05.07.2022.....समय : 10.20 एएम.....
   (ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :–.....30.06.2022.....समय : 09.35 एएम.....
   (ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या .....111..... समय.....5:45 P.M.....
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
   (क) थाने से दिशा एवं दूरी – चौकी से दक्षिण–पश्चिम दिशा बफासला करीब 130 किमी
   बीट संख्या.....जुरामदेही सं.....
   (ख) पताः–रोड़वेज बस स्टेण्ड अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर ।
   (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस
   थाने का नाम..... जिला .....
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
   (क) नाम :– श्री मोहनलाल
   (ख) पिता/पति का नाम :– श्री शीशराम
   (ग) जन्म तिथि/उम्र :– 43 वर्ष
   (घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (ड़) पासपोर्ट संख्या.....जारी करने की तिथि.....जारी करने का स्थान.....
   (च) व्यवसायः– –
   (छ) पता :– निवासी वार्ड न. 03 नई खुंजा, हनुमानगढ जक्शन।
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

1. भूपराज पारीक पुत्र श्री चेतराम जाति ब्राहम्ण उम्र 50 साल निवासी गांव पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ हाल निवास वार्ड न. 03 अनूपगढ हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्ठया(यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....

आरोपी भूपराज पारीक वरिष्ठ सहायक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अनूपगढ आगार द्वारा परिवादी मोहनलाल के खिलाफ दिनांक 01.12.19 को लगाये गये छः सवारी बिना टिकट के रिमार्क के प्रकरण में किये गये फैसला की एवज में मांग की गई रिश्वत राशि के रूप में 10,000/रूपये तथा मुख्य प्रबन्धक अनूपगढ आगार द्वारा दिनांक 11.05.22 को लगाये गये तीन सवारी बिना टिकट के रिमार्क सम्बधी प्रकरण में फैसला उसके हक में करवाने के एवज में 5000/रूपये रिश्वत कुल 15,000/रूपये रिश्वत की मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अनूपगढ आगार के लिये मांग कर परिवादी मोहनलाल से आरोपी भूपराज द्वारा प्राप्त करने पर रंगे हाथो गिरफ्तार करना आदि आरोप है।

10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्य :– .....15,000/रू.....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो).....

करने के लिये श्री इकबाल सिंह व भूपराम ने कहा है कि चीफ साहब के द्वारा पूर्व में छः सवारी के बिना टिकट के प्रकरण में निर्णय करने के बदले यदि 10 हजार रूप्ये तथा चीफ साहब द्वारा अब लगाये गये तीन सवारी के रिमार्क के प्रकरण के 5 हजार रूपये कुल 15 हजार रूपये देते हो तो फैसला तुम्हारे पक्ष में करा देगे, नही तो इसी प्रकार रिमार्क लगाते हुये तुम्हारी खराब कर देगे, श्रीमान जी श्री दीपक कुमार डिपो मैनेजर भ्रष्ट श्रेणी का अधिकारी है तथा दलालो के मार्फत हम परिचालको से रिमार्क लगाने का दबाव बनाकर परेशान करके अवैध रूप से रिश्वत की वसूली करते है, मै रिश्वत नही देकर रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकड़ने की कार्यवाही करवाना चाहता हूँ, श्री दीपक कुमार चीफ मैनेजर सीधे तौर पर मेरे से रिश्वत नही लेकर अपने दलाल भूपराम यूडीसी आगार कार्यालय अनूपगढ के माध्यम से लेगा, मेरी भूपराम यूडीसी या दीपक कुमार मुख्य प्रबन्धक से कोई रंजिश या आपसी लेन देन बकाया नही है। श्री दीपक कुमार मुख्य प्रबन्धक द्वारा मेरे विरूद्ध तीन सवारी बिना टिकट का लगाया गया रिमार्क पर जोनल मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णय किया जायेगा, जिसके नाम पर 5 हजार रूपये की मांग की जा रही है तथा 10 हजार रूपये मेरे खिलाफ पूर्व के 6 सवारी के रिमार्क का निर्णय करने के लिये चीफ साहब द्वारा स्वंय के लिये मांगी जा रही है। निगम के नियमो के अनुसार रिमार्क की वसूली नकद रूप से नही करके प्रकरण के निर्णय अनुसार सम्बधिंत परिचालक का एग्रीमेंट रोक कर या परिचालक-के वेतन से कटौती कर के वसूली करने प्रावधान है। मेरे से मांगी जा रही राशि अवैध रूप से रिश्वत की राशि है, जो मै देना नही चाहता हूँ। रिपोर्ट लिख कर दे रहा हूँ, कृपया कानूनी कार्यवाही करें। प्रार्थी एसडी मोहनलाल, मोहनलाल पुत्र श्री शिशराम जाति कुम्हार उम्र 43 साल निवासी हनुमानगढ जक्श वार्ड न. 03 नई खुंजा हाल परिचालक रा0रा0पथ0 परि0 निगम अनूपगढ आगार मोबाईल न. 74269–53493 दिनांक 30.06.22

कार्रवाई पुलिस

दिनांक :– 30.06.2022
समय :– 09.35 एएम
स्थानः– ब्यूरो कार्यालय,
श्रीगंगानगर–ा

प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी मोहनलाल पुत्र श्री शीशराम जाति कुम्हार उम्र 43 वर्ष निवासी वार्ड नं. 03 नई खुंजा हनुमानगढ़ जंक्शन पेशा परिचालक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अनूपगढ़ आगार ने खुद चौकी भ्रनिब्यूरो श्रीगंगानगर–द्वितीय पर उपस्थित होकर यह लिखित रिपोर्ट मुझ पुलिस निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत की है। प्रस्तुत रिपोर्ट पढ़कर सुनाने पर परिवादी ने रिपोर्ट खुदकलमी होना बताकर रिपोर्ट के तथ्य सही–सही होना एवं उस पर अपने ही हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। मजीद बताया कि मैं दिनांक 03.12.2007 को अनुकम्पा नियुक्ति पर रा.रा.प.प.निगम अनूपगढ़ आगार में परिचालक पद पर नियुक्त हुआ था। श्री दीपक कुमार मुख्य प्रबन्धक अनूपगढ़ आगार भ्रष्ट श्रैणी का अधिकारी है जो अनूपगढ़ आगार कार्यालय में पदस्थापित इकबाल सिंह परिचालक व भूपराम यूडीसी (पीए) जो मुख्य प्रबन्धक के लिए दलाली का काम करते हैं, के मार्फत परिचालकों को रिश्वत हेतु परेशान कर नाजायज रूप से झूठे अवैध सवारी के रिमार्क लगा देता है, और फैसला करने के बदले संबंधित परिचालक से अवैध वसूली करता है। श्री दीपक कुमार मुख्य प्रबन्धक ने मेरे खिलाफ दो–तीन साल पहले लगाये गये छः सवारी बिना टिकिट के नोट का निर्णय करते समय मेरे से उक्त दलालों के माध्यम से पन्द्रह हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी। मेरे द्वारा रिश्वत नहीं देने पर कुछ दिन पहले मेरे खिलाफ निर्णय कर दिया और मेरे से नाराज होकर दिनांक 11.05.2022 को मेरी डयूटी अनूपगढ़ से दन्तौर रूट पर सेवा संख्या 48–49 के दौरान पीछा करके श्री दीपक कुमार ने तीन बिना टिकिट सवारी का अवैध रिमार्क लगा दिया। इस पर मैंने भूपराम से बात की तो उसने कहा कि चीफ साहब पूर्व में तेरे खिलाफ छः सवारी के रिमार्क के किये गये निर्णय के 10,000/–रूपये तथा अब दिनांक 11.05.22 को लगाये गये तीन सवारी के रिमार्क के 5,000/–रूपये मांग रहे हैं यदि तूं 15000/–रूपये देता है तो चीफ साहब तेरे पक्ष में रिपोर्ट कर देंगे। श्रीमानजी किसी भी परिचालक के खिलाफ बिना टिकिट सवारी का निर्णय अनुसार या तो परिचालक का इन्क्रीमेण्ट रोककर या परिचालक के वेतन से कटौती करके वसूली किये जाने के नियम है, नगद राशि जमा कराने का कोई प्रावधान नहीं है। यह भी प्रावधान है कि मुख्य प्रबन्धक द्वारा लगाये गये रिमार्क का निर्णय जेड एम मुख्यालय द्वारा किया जाता है लेकिन दीपक कुमार मुख्य प्रबन्धक रा.रा.प.प.निगम अनूपगढ़ आगार द्वारा अपने दलालों इकबाल सिंह परिचालक व भूपराम यूडीसी के मार्फत मेरे पर दबाब बनाकर नाजायज परेशान करके मेरे से अवैध रूप से 15,000/–रूपये रिश्वत मांग रहे हैं। मैं रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। इस प्रकार परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाये जाने पर परिवादी मोहनलाल को आरोपीगणों द्वारा रिश्वत मॉगने के आरोपों के संबंध में ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में वार्ता रिकार्ड करवाकर सत्यापन करवाने को कहा तो परिवादी ने इस हेतु सहमति दी जिस पर डिजिटल टेप रिकार्डर मंगवाकर उसे बार–बार चालु बन्द कर उपयोग में लेने की पूर्ण विधि परिवादी को समझायी गयी। तत्पश्चात श्री बजरंगलाल कानि से परिवादी को मिलाकर दोनों को मय डिजिटल टेप रिकार्डर देकर गोपनीय

अपनी सुरक्षा में लिया। दिनांक 04.07.22 को वक्त 10.30 एएम पर परिवादी मोहनलाल चौकी पर उपस्थित आया और बताया कि दिनांक 30.06.22 को मैं अनूपगढ़ बस अडडा में गया तो वहां भूपराम यूडीसी बैठा हुआ था, जिससे मैंने मेरे खिलाफ लगाये गये उक्त तीन सवारी बिना टिकट के रिमार्क का निर्णय कराने के संबंध में बात की तो उसने मेरे खिलाफ पूर्व में लगाये गये छः सवारी बिना टिकट के रिमार्क का फैसला के 10,000/रूपये व दिनांक 11.05.22 को लगाये गये तीन सवारी बिना टिकट के रिमार्क का फैसला करने के बदले चीफ साहब के लिए 5,000/रूपये कुल 15,000/रूपये की रिश्वत हेतु तय किये थे जो वार्ता मैंने टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर ली थी। परिवादी के कथनों से रिकार्ड वार्ता के तथ्यों की ताईद होना तथा रिश्वत की मांग का सत्यापन होना पाया गया। इस पर परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में दिनांक 30.06.2022 को गोपनीय सत्यापन के दौरान डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता चौकी के कम्पयुटर पर सुनाते हुऐ फर्द ट्रांस्क्रिप्ट वार्ता रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता बनायी गयी तथा रिकार्ड वार्ता को कम्पयूटर में डाउनलोड कर दो सीडी तैयार करके एक सीडी को सील मोहर किया गया व दूसरी सीडी को खुली हालत में कब्जे में लिया गया। फर्द व सील्ड थैली पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी मोहनलाल ने बताया कि मेरी पत्नि की तबीयत खराब होने से मैं व्यस्त हूं। अग्रिम कार्यवाही के लिए मैं कल सुबह हाजिर हो जाउंगा। इस पर परिवादी को अगले दिन 07.00 एएम पर आरोपीगणों द्वारा मांग अनुसार 15,000/रूपये की राशि साथ लेकर आने हेतु पाबन्द कर वापिस भेजा गया। अग्रिम कार्यवाही में दो राज्य कर्मचारियों की बतौर गवाह मौजूदगी आवश्यक होने से अधीक्षण अभियंता, सानिवि श्रीगंगानगर को जरिये दूरभाष दो सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों को भिजवाने हेतु निवेदन किये जाने पर गवाह हेतु **श्री सूर्यप्रकाश वरिष्ठ सहायक व श्री** रजत **धांधल कनिष्ठ सहायक** ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। आमदा दोनो कर्मचारियों को तलबी का कारण बताकर कल दिनांक 05.07.22 को प्रातः 7 एएम पर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित आने हेतु पाबंद कर वापस भेजा गया। **दिनांक 05.07.22 को वक्त** 07.00 एएम पर परिवादी मोहनलाल चौकी उपस्थित आया। साथ–साथ गवाह हेतु पाबंदशुदा **श्री सूर्यप्रकाश वरिष्ठ सहायक व श्री रजत धांधल कनिष्ठ सहायक सानिवि श्रीगंगानगर** ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। दोनों कर्मचारियों को कार्यवाही में बतौर गवाह सहयोग की अपेक्षा की तो दोनो गवाहान ने अपनी–अपनी सहमति दी। जिस पर परिवादी मोहनलाल से दोनो गवाहान को आपसी परिचय करवाया गया एवं परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन करवाकर परिवादी की रिपोर्ट का सार बताते हुये सत्यापन के तथ्यों से अवगत करवाया गया। वक्त 7.15 एएम पर परिवादी श्री मोहनलाल ने निर्देशानुसार अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500/रू के 30 नोट कुल 15,000/–रूपये भारतीय मुद्रा के पेश किये। जिनके नम्बरो को फर्द में अंकित किया गया। जिनका विवरण इस प्रकार है :–

1.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	6FP652849
2.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	6FP652850
3.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	6FP652851
4.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	6FP652852
5.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	6FP652853
6.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	6FP652854
7.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	6FP652855
8.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	6FP652856
9.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	6FP652857
10.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	6FP652858
11.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	6FP652859
12.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	6FP652860
13.	एक नोट पांच-सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	6FP652861
14.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	6FP652862
15.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	8CP662811
16.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	4EM083460
17.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	3BC811997
18.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	3RF464768
19.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	9CB323282
20.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	6WB321064
21.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	2GW306583
22.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	3BS164303
23.	एक नोट पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा न.	2UQ342828

फिनालपथलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। फिर गवाह श्री सूर्यप्रकाश से परिवादी की जामा तलाशी करवाकर उसके पास स्वयं का मोबाईल व पहने कपड़ो के अलावा कुछ भी न रहने दिया जाकर, उक्त पाउडर लगे नम्बरी 15,000/रू के नोटो को श्री मनजीत चलाना कानि0 के जरिये परिवादी के पेंट की दाहिनी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाकर निर्देश दिये कि वह आरोपी की मांग से पूर्व राशि को हाथ नही लगाये तथा आरोपी के मांगने पर ही उक्त पाउडर युक्त सुपुर्दशुदा राशि निकालकर आरोपी को देवे, आरोपी को रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दोनो हाथ फिराकर अथवा मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिसड कॉल कर रिश्वत राशि देने का ईशारा करें। परिवादी को आरोपी द्वारा रिश्वत राशि रखे जाने के स्थान का भी पूर्ण ध्यान रखने के निर्देश दिये गये। फिर पानी भरे कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया गया, उसमें श्री मनजीत चलाना कानि0 के हाथो की अंगुलियों व अंगुठे को धुलवाया गया तो रंग गुलाबी हो गया। जिस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण एवं उसकी महत्वता एवं उपयोगिता की समझाईश की गयी। बाद समझाईश प्रदर्शन घोल को बाहर फिंकवाया व अखबार जिस पर रखकर नोटो पर पाउडर लगाने की कार्रवाई की गई थी, को जलाकर नष्ट किया गया। फिर श्री मनजीत चलाना कानि0 के हाथ, गिलास को साफ पानी व साबुन से साफ धुलवाया गया। गवाहान एवं अन्य ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ भी साबुन व पानी से साफ धुलवाए गए एवं ट्रेप बॉक्स में रखी शीशियो व उनके ढक्कनों, चम्मच, कांच के गिलासो को भी वाशिंग पाउडर व साफ पानी से धुलवाये गये। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे परिवादी व आरोपी के नजदीक रहकर सम्भावित रिश्वत लेन देन को देखने व मौका की वार्ता को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात रिश्वत लेनदेन के समय की वार्ता रिकार्ड करने के उद्देश्य से चौकी हाजा का डिजीटल टेप रिकॉर्डर परिवादी श्री मोहनलाल को सुपुर्द कर उसे आवश्यक निर्देश दिये गये। तत्पश्चात वक्त 7.45 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री मोहनलाल, दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री सूर्यप्रकाश व रजत धांधल व ब्यूरो स्टाफ के श्री हंसराज एएसआई, श्री सुबे सिंह कानि0, श्री बजरंगलाल कानि0, श्री संजीव कुमार कानि, श्री आशीष कुमार कानि0, श्री प्रदीप कुमार कानि0, श्री सुरेन्द्र सिंह कानि0, श्री दिनेश कुमार कानि0 व पंकज कानि0ड्रा मय लेपटोप–प्रिन्टर व ट्रेप बॉक्स सरकारी बोलेरो गाड़ी व प्राईवेट कार से ब्यूरो कार्यालय से गोपनीय कार्रवाई हेतु रवाना होकर नजदीक रोड़वेज बस स्टेण्ड अनूपगढ पहूंचा। जहां से परिवादी मोहनलाल को आरोपी से सम्पर्क करने रोड़वेज बस अड्डा की तरफ रवाना कर पीछे–पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के उचित दूरी बनाते हुये बस अड्डा की ओर रवाना होकर बस अड्डा में सवारियो के बैठने के स्थान पर पहूंचा। परिवादी आगे–आगे चलता हुआ बस अड्डा में समयपालक शाखा में प्रवेश कर गया, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक व सभी हमराहीयान आस–पास ही खड़े होकर परिवादी के ईशारा के इंतजार में मुकिम हुये। वक्त 10.20 एएम पर परिवादी श्री मोहनलाल ने रोड़वेज बस स्टेण्ड अनूपगढ स्थित समयपालक शाखा कक्ष से बाहर निकलकर ट्रेप का निर्धारित ईशारा दिया, जिस पर पर मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यो के अविलम्ब परिवादी मोहनलाल के पास पहूंचा तो परिवादी ने डिजीटल टेप रिकॉर्डर पेश करते हुये उक्त समय पालक शाखा में खड़े एक चश्माधारी व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही भूपराम बाबू है, जिसने मेरे से मेरे पूर्व में छः सवारी बिना टिकट के रिमार्क के फैसला करने संबंधी प्रकरण के लिये 10,000/रूपये व दिनांक 11.05.22 को मुख्य प्रबन्धक द्वारा लगाये गये बिना टिकट तीन सवारी के रिमार्क प्रकरण का फैसला करवाने की एवज में 5000/रूपये कुल 15000/रूपये रिश्वत लेकर अपनी पहनी पेंट की दाहिनी साईड की जेब में रख लिये है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने मय गवाहान परिवादी व हमराही जाप्ता के समय पालक शाखा कक्ष में पहूंचा और उक्त भूपराम बताये गये व्यक्ति को अपना परिचय पत्र दिखाते हुये अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम भूपराज पारीक पुत्र श्री चेतराम जाति ब्राहम्ण उम्र 50 साल निवासी गांव पक्का सहारणा तहसील व जिला हनुमानगढ हाल निवास वार्ड न. 03 अनूपगढ हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर होना बताया। फिर आरोपी भूपराज से परिवादी मोहनलाल से सम्बधिंत कार्य एवं उससे ली गई रिश्वत राशि के सम्बधं में पूछा तो उसने बताया कि साहब यह मोहनलाल राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, अनूपगढ आगार में परिचालक है, श्री दीपक कुमार मुख्य प्रबन्धक, अनूपगढ आगार में दिनांक 11.05.22 को मोहनलाल परिचालक की बस सं. 4111 का निरीक्षण गंगूवाला के पास करके तीन सवारी बिना टिकट का रिमार्क लगाया था, इस प्रकरण की पत्रावली निगम से जारी आदेश अनुसार मेरे द्वारा संधारित की जा रही है, पत्रावली रोड़वेज डिपो स्थित कार्यालय में है, पत्रावली अभी पेण्डिग है, मेरे पास वर्तमान में विभागीय जांच, स्टोर व स्मार्ट कार्ड का कार्य है, श्री मोहनलाल के खिलाफ पूर्व में भी छः सवारी बिना टिकट के रिमार्क का प्रकरण था, जिसमें मुख्य प्रबन्धक महोदय द्वारा निर्णय किया जा चुका है, मोहनलाल ने मुझे चीफ साहब से राजीनामा करवा देने के लिये 10,000/रूपये तथा 5000/रूपये चीफ साहब द्वारा दिनांक 11.05.22 को लगाये गये उक्त तीन सवारी के रिमार्क का फैसला करवाने के लिये दिये थे, जो मेरे पहनी पेंट की दाहिनी साईड की जेब में रखे है। निगम के नियमो के अनुसार रिमार्क के फैसला अनुसार जुर्माना राशि सम्बधिंत परिचालक के वेतन से कटौति करके ही ली जाती है, नकद जर्माना राशि जमा करने के कोई प्रावधान नही है, मैने इससे कोई रिश्वत की मांग नही की थी

भूपराज के मध्य रिश्वत राशि का आदान–प्रदान होने पर रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने के तथ्य की पुष्टि हेतु आरोपी के हाथों आदि का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी भूपराज के दोनो हाथो आदि की धुलाई हेतु सरकारी बोलेरो गाड़ी में से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर उसमें से दो साफ कांच के गिलासो को साफ धुलवाते हुये उसमें साफ पानी भरवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया, तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। फिर एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी भूपराज के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर उक्त घोल में धुलवाया गया तो धोवन का **गुलाबी** प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का **'आर–1, आर–2'** अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर इसी विधि अनुसार दूसरे कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट तैयार घोल में आरोपी भूपराज के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगुठे को डूबोकर उक्त घोल में धुलवाया गया तो धोवन का **गुलाबी** प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का **'एल–1, एल–2'** अंकित कर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर आरोपी भूपराज से उसके द्वारा ली गई रिश्वत राशि के बारे में पुछा तो उसने अपने पहनी पेंट की दाहिनी साईड की जेब में होना बताया, जिस पर गवाह सूर्यप्रकाश से आरोपी के पहनी पेंट की दाहिनी साईड की जेब की तलाशी लिवाई गई तो गवाह ने 500–500/रूपये के नोट निकालकर पेश किये, जिनको गवाह ने गिनकर 500–500/रू के 30 नोट कुल 15,000/रू होना बताया। फिर गवाहो से इन बरामशुदा नोटो का मिलान फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उसमें अंकित नोटो के नम्बरो से करवाने पर दोनो गवाहान ने हूबहू रिश्वत राशि वाले नोट होना बताया। चूंकि तब तक मौका पर काफी भीड़ हो चुकी थी तथा कार्यवाही के लिये बस स्टेण्ड पर माकूल व्यवस्था नही थी, आरोपी के बताये अनुसार रिकॉर्ड भी आगार कार्यालय अनूपगढ में था। ऐसी स्थिति में अग्रिम कार्यवाही हेतु मन पुलिस निरीक्षक आरोपी भूपराज पारीक को साथ लेकर मय गवाहान, परिवादी व ट्रेप पार्टी के मौका से आगार कार्यालय से रवाना हुआ। रिश्वत राशि गवाह सूर्यप्रकाश के पास ही रहने दी गई। फिर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान एवं आरोपी भूपराज के राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अनूपगढ आगार कार्यालय में पहूंचा, जहां निर्देशानुसार गवाह सूर्यप्रकाश ने बरामदशुदा राशि प्रस्तुत की, जिसके नोटो के नम्बरो का विवरण फर्द में अंकित किया गया। उक्त नोटो को मौके पर कपड़े के टूकड़े के साथ सील चिट मोहर कर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर रिश्वत राशि बरामदगी स्थान आरोपी की पहनी बरंग नेवी ब्लयू पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब धुलवाने के लिये एक अलग साफ कांच के गिलास में पूर्वानुसार सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल तैयार करवाकर आरोपी भूपराज के पहनी पेन्ट को उतरवाते हुये दूसरी पेंन्ट मंगवाकर पहनने को दिया जाकर उतरवायी गई पेन्ट के दाहनी साईड की जेब को उक्त तैयार घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग **गुलाबी** प्राप्त हुआ। जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट कर मार्का **'पी–1, पी–2'** अंकित कर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर धुलाई के पश्चात पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब को सुखाकर उस पर सम्बधिंत के हस्ताक्षर करवाकर कपड़े की एक थैली में डालकर सील चिट मोहर किया गया। फिर आरोपी भूपराज पारीक व0स0 से परिवादी मोहनलाल परिचालक के खिलाफ छः सवारी बिना टिकट रिमार्क के प्रकरण की फैसलाशुदा पत्रावली व तीन सवारी बिना टिकट रिमार्क की पत्रावली बाबत पूछा तो उसने बताया कि मोहनलाल के खिलाफ तीन सवारी बिना टिकट रिमार्क की पत्रावली मेरे पास है, दूसरी छः सवारी बिना टिकट रिमार्क की फैसलाशुदा पत्रावली श्री महावीर सिंह व0स0 के पास है। फिर मेरे निर्देश पर आरोपी भूपराज व0स0 ने अपनी अलमारी से एक धागे से बंधी पत्रावली पेश की, जिसका अवलोकन किया गया तो यह पत्रावली मोहनलाल पुत्र शीशराम परिचालक के खिलाफ दिनांक 11.05.22 को दीपक कुमार मुख्य प्रबन्धक द्वारा किये गये बस निरीक्षण सम्बधी प्रतिवेदन, जिसमें तीन सवारी बिना टिकट का रिमार्क लगा हुआ है, से सम्बधिंत पत्रावली है, जिसमें आगार के आदेश कमांक 1780 दिनांक 12.05.22 के द्वारा मोहनलाल परिचालक को तीन सवारी बिना टिकट के प्रकरण में दोषारोपण पत्र दिया गया है तथा आगार के आदेश कमांक 1876 दिनांक 20.05.22 के द्वारा अन्य प्रकरणो के साथ मोहनलाल के विरूद्ध बनाये गये उक्त प्रकरण की पत्रावली जांच हेतु श्रीमती किरण प्रबन्धक यातायात को सुपुर्द की गई है। उक्त पत्रावली अभी तक पेण्डिग है, परिवादी हित को देखते हुये श्री दीपक कुमार मुख्य प्रबन्धक से उक्त मूल पत्रावली कुल 10 पृष्ठ की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर असल अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री दीपक कुमार मुख्य प्रबन्धक को सुपुर्द की गई। श्री महावीर सिंह व0स0 भी आगार कार्यालय में मौजूद मिला, जिन्होने निर्देशानुसार मोहनलाल परिचालक के खिलाफ पूर्व में छः सवारी बिना टिकट रिमार्क की पत्रावली का पूछा तो श्री महावीर सिंह ने एक धागे से बंधी पत्रावली प्रस्तुत कर बताया कि श्री मोहनलाल परिचालक के खिलाफ पूर्व में दिनांक 01.12.19 को हनुमानगढ से नई मण्डी घड़साना रूट पर चैकिंग कर छः सवारी बिना टिकट का प्रकरण बनाया गया था, इस प्रकरण में बाद जांच दिनांक 06.10.21 को श्री दीपक कुमार मुख्य प्रबन्धक द्वारा निर्णय कर परिचालक मोहनलाल की एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से व एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश पारित कर दण्डित किया गया था। प्रस्तुत इस पत्रावली का अवलोकन कर श्री दीपक कमार मख्य प्रबन्धक से उक्त मल पत्रावली कल 29 पष्ठ की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर असल श्री महावीर

जिसकी जांच आगार में पदस्थापित श्रीमती किरण प्रबन्धक यातायात को सुपुर्द की गई है। मैने मोहनलाल परिचालक से उसके विरूद्ध उक्त मामलो में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई रिश्वत की मांग नही की गई है, यदि भूपराज व0स0 व परिवादी मोहनलाल परिचालक द्वारा मेरे नाम से रिश्वत के सम्बधं में बातचीत की जा रही है अथवा भूपराज द्वारा रिश्वत ली गई है तो मुझे इसका ज्ञान नही है। मैने किसी को भी मेरे लिये मोहनलाल से रिश्वत लेने का नही कहा। इस पर परिवादी मोहनलाल ने स्वतः ही अपने द्वारा ब्यूरो में प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्यों की ताईद करते हुये बताया कि श्री दीपक कुमार मुख्य प्रबन्धक ने मेरे खिलाफ पूर्व के छः सवारी बिना टिकट के प्रकरण में 15000/रूपये रिश्वत मांगी थी, मेरे द्वारा रिश्वत नही देने पर मेरा पीछा कर दिनांक 11.05.22 को मेरी बस की चैकिंग कर तीन सवारी बिना टिकट का प्रकरण बनाया था तथा प्रकरण का फैसला करने के लिये 5000/रूपये रिश्वत मांगी थी। मैने इसी संदर्भ में भूपराज पारीक व0स0 से हुई बातचीत के अनुसार 15000/रूपये रिश्वत राशि श्री दीपक कुमार मुख्य प्रबन्धक के लिये भूपराज व0स0 को दी है। कार्यवाही की विस्तृत फर्द बरामदगी रिश्वत राशि व हाथ धुलाई मुर्तिब कर सम्बधिंत के फर्द पर हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता की डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को रूबरू गवाहान, परिवादी के सुनी जाकर फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार की गई। डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की दो सीडी बनाई जाकर एक सीडी सील मोहर की गई तथा एक सीडी वास्ते अनुसंधान खुली रखी गई। तत्पश्चात आरोपी भूपराज पारीक व0स0 को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार कर फर्द मुर्तिब की गई। फिर ट्रेप कार्रवाई में प्रयुक्त पीतल की सील का नमूना फर्द पर लिया जाकर फर्द नमूना सील मुर्तिब की जाकर बाद कार्रवाई पीतल की सील को नष्ट किया गया। तत्पश्चात जाब्ते के साथ गिरफ्तारशुदा आरोपी भूपराज वरिष्ठ सहायक को राजकीय चिकित्सालय अनूपगढ भिजवाकर आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। वक्त 3.20 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी मोहनलाल, दोनो स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ व गिरफ्तारशुदा आरोपी भूपराज पारीक व0स0 जब्तशुदा व बरामदशुदा माल वजह सबूत आदि साथ लेकर मौका से रवाना होकर बस अड्डा अनूपगढ पहूंचा। ट्रेप कार्यवाही घटनास्थल का नक्शा मौका बनाकर हालात मौका कसीद किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने मौका की कार्यवाही सम्पन्न होने पर परिवादी मोहनलाल को मौका से जाने की इजाजत देते हुये गिरफ्तारशुदा आरोपी भूपराज व0स0, दोनो गवाहान व ब्यूरो स्टाफ, जब्तशुदा व बरामदशुदा माल वजह सबूत आदि के सरकारी व प्राईवेट वाहन से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय श्रीगंगानगर पहुंचा। मौके से जब्तशुदा व बरामदशुदा मालवजह सबूत छः शील्डशुदा धोवनो की शिशियां, 15,000/रू रिश्वत राशि, शील्डशुदा पेन्ट, शील्डशुदा सीडी आदि श्री बजरंग लाल मु0आ0 के जरिये मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये व दोनो गवाहान आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया गया। आरोपी भूपराज पारीक व0स0 को माननीय सेशन न्यायालय, भ्र0नि0 श्रीगंगानगर में समक्ष पेश किया, माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाये जाने के आदेश फरमाने पर आरोपी को केन्द्रीय कारागृह श्रीगंगानगर में दाखिल करवाया गया।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री मोहनलाल परिचालक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अनूपगढ आगार से आरोपी भूपराज पारीक वरिष्ठ सहायक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अनूपगढ आगार द्वारा परिवादी मोहनलाल के खिलाफ दिनांक 01.12.19 को लगाये गये छः सवारी बिना टिकट के रिमार्क के प्रकरण में किये गये फैसला की एवज में मांग की गई रिश्वत राशि के रूप में 10,000/रूपये तथा मुख्य प्रबन्धक अनूपगढ आगार द्वारा दिनांक 11.05.22 को लगाये गये तीन सवारी बिना टिकट के रिमार्क सम्बधी प्रकरण में फैसला **उसके हक में** करवाने के एवज में 5000/रूपये रिश्वत कुल 15,000/रूपये रिश्वत की मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अनूपगढ आगार के लिये मांग करना, जिसके क्रम में परिवादी के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 30.06.22 को ब्यूरो द्वारा करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन में पुष्टि होना पाया गया। जिसके अनुशरण में आज दिनांक 05.07.22 को वक्त ट्रेप परिवादी मोहनलाल से आरोपी भूपराज पारीक व0स0 द्वारा रिश्वत राशि 15000/रूपये प्राप्त करना, रिश्वत राशि आरोपी के पहनी पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब से बरामद होना, आरोपी के हाथो एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थल पेन्ट की जेब से धुलाई से प्राप्त धोवनो का रंग गुलाबी प्राप्त होना, वक्त सत्यापन व वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता में रिश्वत की मांग व रिश्वत प्राप्त करने के तथ्यों की पुष्टि होना तथा वक्त ट्रेप परिवादी का कार्य पेण्डिग होना पाया गया है। इस प्रकार उक्त घटनाक्रम एवं उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर आरोपी भूपराज पारीक वरिष्ठ सहायक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अनूपगढ आगार द्वारा उक्त पद का लोकसेवक होते हुये पदीय दायित्वो के निर्वहन में भ्रष्ट आचरण कर परिवादी से उसके उक्त कार्य की एवज में मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अनूपगढ आगार के नाम पर 15000/रूपये रिश्वत मांग कर प्राप्त करना पाये जाने का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का घटित होना पाया गया है। **प्रकरण में आरोपी भूपराज पारीक व0स0 द्वारा रिश्वत राशि श्री दीपक कुमार मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अनूपगढ आगार के नाम पर प्राप्त की गई है। श्री दीपक कुमार मुख्य प्रबन्धक की इस आपराधिक कृत्य में संलिप्तता के सम्बध में अनुसंधान से स्थिति स्पष्ट की जावेगी।** अतः भूपराज पारीक वरिष्ठ सहायक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अनूपगढ आगार जिला श्रीगंगानगर के

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विजेन्द्र कुमार सीला, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त आरोपी श्री भूपराज पारीक, वरिष्ठ सहायक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 272/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

6.7.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2387-91 दिनांक 6.7.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लि.,जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय।

6.7.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विजेन्द्र कुमार सीला, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त आरोपी श्री भूपराज पारीक, वरिष्ठ सहायक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 272/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2387-91 दिनांक 6.7.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लि.,जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय।

6.7.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।